

उत्तमान : कजौड खतार गोपाल
 न्यायालय : लहागठ कलम (फास्ट ट्रेक) - बी.पु.
 ज. नं. 27/2014

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरुद्ध रूप से	विवरण
	13/11/14	<p>आज यह पत्रावली प्रशासन शाखा के संग अभियान कैंप कोटि ग्राम थार्डोता में पेश हुई। वक्तव्य प्रकरण में शुना काला पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुख्य वार्ड तकासमा एवं श्वाक निषेधाज्ञा का है जो अप्रकृत कायम-मुकाम में अंतर है। इस पत्रावली में दिनांक 22-8-19 को अन्तरेम आदेश जारी किया गया है। न्यायालय अभिमत में हम उक्त आदेश को श्वाक किया जाना उचित समझते हैं। अतः उक्त न्यायालय द्वारा पुर्क में दिनांक 22-8-19 को जारी अन्तरेम आदेश निषेधाज्ञा आदेश को तार्किकता मुख्य वार्ड श्वाक (T.P. कर्म) किया जाता है। पत्रावली फॉलोव श्वाक होकर इस नम्यर से कम है एवं मुख्य वार्ड के श्वाक संलग्न रहे।</p>	<p>13/11/14</p> <p>13/11/14</p> <p>सहायक कलम (फास्ट ट्रेक) बी.पु. (जयपुर)</p> 